"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक ज़ी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 जनवरी 2014— पौष 18, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2. — छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों से संबंधित आदेश अथवा निर्देश जारी करने के लिये, शक्तियाँ प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :-

1. अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों तथा आश्रमों में निवास करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरक पोषाहार सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधानों का क्रियान्वयन.

2. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित कार्य.

3. अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (घ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कक्षा आठवीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित योजना का क्रियान्वयन.

4. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), धारा 5 की उप-धारा (2), धारा 13 के खण्ड (ग) और धारा 19 के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना संबंधी कार्य.

5. अधिनियम के अंतर्गत पात्रताओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अन्य संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना.

6. अधिनियम की धारा 32 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना.

7. अन्य विषय, जो राज्य सरकार, अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु, समय-समय पर, समनुदेशित करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2/पार्ट/13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 8th January 2014

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29/Food-2. — In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, delegates the powers to the Commissioner, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department, Government of Chhattisgarh to issue orders or instructions related to the following matters under his jurisdiction, namely :-

1. Implementation of provisions in relation to providing nutrition supplements to students residing in Hostels and Ashrams run by the Department under Section 6 of the Act.

2. All related activities towards the implementation of sub-section (2) of Section 5 of the Act.

3. Implementation of the scheme notified for providing free food to students studying upto Class-VIII specified under Clause (d) of Section 13 of the Act.

4. Activities in relation to establishment of redressal system of internal grievances for ensuring appropriate implementation of clause (b) of sub-section (1) of Section 5, sub-section (2) of Section 5, clause (c) of Section 13 and Section 19 of the Act.

5. Establishing the co-ordination between other related departments to ensure implementation of entitlements under the Act.

6. Ensuring implementation of directions issued by the State Government under Section 32 of the Act.

7. Other subjects, which the State Government may assign, from time to time, towards the implementation of provisions of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.